अज अदालत नायब तहसीलदार जालोर

...कार जरिये पटवारी हल्का साफाड़ा बनाम हीरराम पुत्र गमनाराम जाति भील निवासी साफाड़ा मुकदमा नम्बर 70/2018 अन्तर्गत धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956।

निर्णय

दिनांक 08-2-2018

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल गैर हाजिर। जो एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर गैर सायल की शहादत बंद की जाती हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया । मामले में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का साफाड़ा द्वारा संवत् 2074 की रिर्पाट पेश कर जाहिर किया गया है कि गैर सायल द्वारा मौजा साफाड़ा के खसरा नं 860 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0आम पर नाजायज तौर से अतिक्रमण कर केलवा बाड़ा बनाया है रिपोर्ट के आधार पर मामला धारा 91 आर एल आर 1956 के तहत् दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को धारा 91(3) के तहत् नोटिस तलब किया गया । सुनवाई के दौरान गैर सायल कि और से साक्ष्य सबूत पेश करना नही चाहता । इससे स्पष्ट होता है कि गैर सायल को उक्त आराजी पर अतिक्रमण करना स्वीकार करता ळें अतः एक तरफ कार्यवाही अमल लायी जाकर उक्त आराजी का अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखली का आदेश दिया जाता है। वार्षिक लगान 1.00 रूपये का 50 गुणा जुर्माना 50/- रू0 अक्षरें रूपये पच्चास बतौर गैर सायल पर आरोपित किया जाते है। पटवारी/निरीक्षक हल्का को वसूली एवं भौतिक रूप से बेदखली करने हेतु लिखा जावें एवं जुर्माना मांग रा. ले. सं 4 में दर्ज करायी जावे । मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-2-2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार, जालोर

(पुखराज मीणा)